न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/356

गीता बाई पत्नी नैनालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम गादिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–अपीलांट

बनाम

रतनलाल आत्मज किशन लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम गादिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री अमित कुमार जाटव अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 22.01.2026**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गादिया पटवार हल्का क्षेत्र गादिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) में प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि खसरा नं. 512 की रकबा 0.1300 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर पहुंचने के लिये खसरा नं. 505 आम रास्ते से होते हुये अप्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं. 513 की पश्चिमी मेड से होते हुये निकलता है जो खसरा नं. 512 पर पहुंचता है तथा उक्त रास्ते से होते हुये प्रार्थी ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य कृषि उपकरण लाते एवं ले जाते है। उक्त रास्ता करीब 12 फुट चौडाई का रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 512 पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र की उपरोक्त मद में वर्णित रास्ते के अलावा प्राथी के अपनी उक्त आराजीयात खसरा नं. 512 पर आने जाने कृषि यंत्र लानें ले जाने का अन्य कोई वैल्किपिक रास्ता नही है। एक मात्र खसरा नं.513 की

पश्चिमी, मेड से होकर ही रास्ता रहा है। उक्त रास्ता जो खसरा नं.513 की पश्चिमी मेड से होकर निकल रहा है जिसको पत्थर की कोट कर बंद कर दिया है जब प्रार्थी ने कहा कि यहाँ से होकर मेरा रास्ता है तुम पत्थर की कोट क्यो कर रही है तो अप्रार्थीया ने कहा कि यहाँ से होकर तेरा किसी प्रकार से कोई रास्ता नही है तथा में तो रास्ते को बंद करूंगी तथा अप्रार्थीया ने पत्थर की फोट कर प्रार्थी जिस रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था उसको बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी के खेत पर हंकाई जुताई करने के लिये कृषि यंत्र लाने ले जाने की परेशानी खड़ी हो गई है जिससे प्रार्थी का खेत पडत हो चुका है तथा अप्रार्थीया को बार बार कहने पर भी उक्त रास्ते का खुलासा नहीं किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थीया द्वारा बंद किये गये रास्ते को खुलासा करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान एस.डी.ओ. साहब रामगंजमण्डी एवं तहसीलदार साहेब रामगंजमण्डी को प्रस्तुत किया, तथा राज सम्पर्क पॉर्टल पर भी प्रार्थना पत्र भिजवाया गया था परन्तु प्रार्थना पत्र पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथा प्रार्थी को कहा गया कि तुम्हे माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, रामगंजमण्डी में रास्ता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–251 (ए) आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करने तथा अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त बाबत निर्देशित किया गया। इस प्रकार उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्राथी के आने जाने के लिये नहीं है रास्ते के अभाव में प्रार्थी का खेत पडत रह गया है। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्राथी न्यायहित में धारा–251 (ए) आर.टी.एक्ट में वर्णित अनुसार डी.एल.सी. रेट जमा कर उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीया के खेत की पश्चिमी मेड की पूरी लम्बाई में 12 फुट चौडाई का प्रार्थी को आम रास्ते से अपने खेत की सीमा तक आने जाने के लिये रास्ता लेना चाहता है। जिसके लिये तहसीलदार रामगंजमण्डी को रास्ते की चौडाई व लम्बाई अप्रार्थीया के खाते की कितनी वर्गफुट भूमि आती है, रिपोर्ट आने पर माननीय न्यायालय के आदेश होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. की रेट जमा करवाकर पंजीयन कराने के लिये तैयार है। प्रार्थी द्वारा रेवन्यू अधिकारी से सम्पर्क करने तथा रेवन्यू अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2022 को अन्तर्गत धारा–251 (ए) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का बाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। प्रार्थी व अप्राथीया की उक्त आराजीयात ग्राम गादिया पटवार हल्का क्षेत्र गादिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है जो उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजी तक पहुंचने के लिये रास्ते प्रार्थी को मद सं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नं. 513 की पश्चिम मेड पर आम रास्ते से लेकर प्रार्थी के खेत तक पूरी लम्बाई में 12 फुट चौडा जो मोके अनुसार तहसीलदार रामगंजमण्डी की रिपोर्ट जो आती है उसके वर्गफुट के हिसाब से राशि जमा पंजीयन कराने को प्रार्थी तैयार है। राशि जमा होने के बाद आदेश मुताबिक रिकार्ड में उक्त रास्ते की भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में भी किये जाने का आदेश प्रदान करे एवं अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलायी जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की खसरा संख्या 512 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की खसरा संख्या 513 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा के वकील साहब ने प्रत्येक पेशी पर आने हेतु मना किया हुआ था तथा निर्णय की भी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्टा को नहीं हो सकी दिनांक 14.09.2025 को रेस्पो० द्वारा निर्णय के बाबत बताने पर सर्व प्रथम जानकारी हुई। इस पर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.09.2025 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.09.2025 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। दिनांक 13.06.2025 से 14.09.2025 तक जानकारी के दिन व नकल के दिन तथा अपील के खर्चे हेतु रूपयों के इन्तजाम में लगे दिन को मुजरा करते हुये अपील अविलम्ब अवधि मध्य पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि दिनांक 13.06.2025 से दिनाक 14.09.2025 तक जानकारी के दिन व नकल के दिन तथा अपील के खर्चे हेतु रूपयों के इन्तजाम में लगे दिन को मुजरा करते हुये अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थी रतन लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज०का०अधि० पेश कर कथन किया है कि ग्राम गादिया तहसील रामगंजमण्डी में प्रार्थी रतन लाल के खाते की खसरा नम्बर 512 की 0.13 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर आने जाने के लिये आम रास्ते की ख०न० 505 से होते हुये अप्रार्थीया गीता बाई के खाते की ख0न0 513 की पश्चिम मेड से होते हुये खन0 512 में रास्ता जाता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीया ने उक्त रास्ता पत्थर का कोट से बन्द कर दिया है। इस कारण उक्त रास्ता 12 फीट चौडाई का कायम किया जाना व खुलासा किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीया ने जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 513 का रकबा 0.06 हेक्टर है तथा इस भूमि पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता आम रास्ता ख0न0 598 से ख0न0 1120/509 की मेड पर होकर रहा है। अप्रार्थीया ने अपनी भूमि पर वर्षों पूर्व से ही बाउन्डरी की हुई है। वैसे भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 512 की भूमि पर बम्बूल के पेड 15–20 वर्ष से लगे हुये हे उक्त भूमि पर प्रार्थी ने कभी भी काश्त नहीं की। इसके बावजूद भी अप्रार्थीया की खसरा नम्बर 513 की पश्चिमी मेड में से ख0न0 514 के सहारे सहारे 30 मीटर लम्बाई व 3.65 मीटर चोडाई में रास्ता कायम करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.06.2025 को पारित किया है। जो विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो० का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर० टी० ए० को स्वीकार कर रेस्पो० को उसकी ख०न० 513 की भूमि में से 30 मीटर लम्बाई व 3.65 मीटर चौडाई के रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने व उक्त भूमि कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० को उसकी भूमि ख0न0 512 पर पहुंचने के लिये भी ख०न० 513 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होकर कभी भी रास्ता नहीं रहा है बल्कि खसरा नम्बर 1120/509 की दक्षिण मेड के सहारे सहारे होकर आम रास्ते की ख0न0 598 पर आता जाता है इसके बावजूद भी रेस्पो० की भूमि के पश्चिमी मेड पर होकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० की ख0न0 512 की भूमि में 15–20 वर्षों से बम्बूल के पेड खडे हुये है और 15–20 सालों से कोई काश्त नहीं हो रही है। तथा अपीलान्टा की ख0न0 513 की भूमि के चारो ओर बाउण्डरी वाल काफी समय से बनी हुई है। तथा ख0नं0 513 की मेड पर होकर कभी भी रास्ता नहीं रहा है और न रास्ता अवरूद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि पटवारी हल्का ने जो मोका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2025 पेश की है वह अपीलाटा की अनुपस्थिती में रेस्पो० से मिल कर पेश की है, जबकि मौका रिपोर्ट के नक्शे के अनुसार विकल्प में ख०न० 598 आम रास्ते से खन० 1120/509 की मेड पर होकर रास्ता आता है। रेस्पो० का अपीलान्ट की भूमि में नया रास्ता कायम कराने कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि जो रास्ते में गयी है उतनी भूमि प्रार्थी रेस्पो० के खाते से कम की जाकर अपीलान्ट अप्रार्थीया के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में

त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में जो मोका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2022 को पेश की गयी जिसमें ख०न० 513 व 506 के मध्य में होकर रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की गयी तथा बाद में पुनः मोका रिपार्ट दिनांक 28.11.2024 को पेश की गयी जिसमें खसरा नम्बर 514 व 513 की मेड पर रास्ता चाहा गया है। जब कि दोनों ही जगह पर रेस्पो० का रास्ता नहीं रहा है। बल्कि ख0न0 1120/508 की दक्षिण मेड के सहारे होकर रास्ता रहा है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पो० के कहे अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है,। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट आना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। इस कारण पारित आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड़ में रेस्पो० अपीलान्टा को ख0न0 513 की पश्चिमी मेड के सहारे रास्ता निकालने की दिनांक 14.09.2025 को धमकी दी मना करने पर रेस्पो० ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी यदि रेस्पो० द्वारा अपीलांट के खातेदारी की ख0न0 513 में रास्ता कायम कर दिया गया तो अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि से वंचित होना पडेगा व सड़क निकलने पर प्रति वर्ष जानवरों से फसल को नुकसान होगा तथा इससे अपीलांट को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 खारिज किए जाने तथा प्रार्थी रेस्पौ० की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज०टी० एक्ट सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी रतन लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज० काश्तकार अधिनियम में पेश कर कथन किया है कि ग्राम गादिया तहसील रामगंजमण्डी में प्रार्थी रतन लाल के खाते की खसरा नम्बर 512 की 0.13 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर आने जाने के लिये आम रास्ते की ख0न0 505 से होते हुये अप्रार्थीया गीता बाई के खाते की ख0न0 513 की पश्चिम मेड से होते हुये खन0 512 मे खाता जाता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीया ने उक्त रास्ता पत्थर का कोट से बन्द कर दिया है। इस कारण उक्त रास्ता 12 फीट चौडाई का कायम किया जाना व खुलासा किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीया ने जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 513 का रकबा 0.06 हेक्टर है तथा इस भूमि पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता आम रास्ता ख0न0 598 से ख0न0 1120/509 की मेड पर होकर रहा है। अप्रार्थीया ने अपनी भूमि पर वर्षों पूर्व से ही बाउन्डरी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुन कर अप्रार्थीया अपीलान्टा की खसरा नम्बर 513 की पश्चिमी मेड में से ख0न0 514 के सहारे सहारे 20 मीटर लम्बाई व 3.65 मीटर चोडाई में रास्ता कायम करने का आदेश विधिक व सही रूप से दिनांक 13.06.2025 को पारित किया है। अपीलांट ने अपील मे सर्वथा गलत तथ्य अंकित किये है जो खारिज होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की भूमि खसरा नम्बर 512 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 513 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 513 की भूमि में नहीं होकर आम रास्ते की खसरा नम्बर 598 की भूमि से खसरा नम्बर 1120/509 की दक्षिण मेड के सहारे होकर अपने खाते की भूमि में आता जाता है। अपीलांट का यह भी कथन है कि उसके खाते की खसरा संख्या 513 की भूमि के चारों ओर बाउंण्ड्री वाल बनी हुई है तथा खसरा संख्या 513 में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मोका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2022 पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की खसरा संख्या 512 की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 506 व 507 की मेड़ पर विद्यमान होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.10.2024 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने बाबत तहसीलदार रामगंजमण्डी को तहरीर जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2024 की पालना में दिनांक 28.11.2024 को पुनः मोका रिपोर्ट तैयार की गई। मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 तथा इसमें अंकित किए गए नजरी नक्शे के में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा वांछित रास्ते को खसरा संख्या 513 में बिछी लाईनों से दर्शाया गया है जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि से रिकॉर्डेड रास्ते की खसरा संख्या 505 की भूमि तक दर्शाया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में अंकित नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की खसरा संख्या 512 की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित खसरा संख्या 598 की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते की भूमि होना अंकित किया गया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की खसरा संख्या 512 एवं रिकॉर्डेड रास्ते की खसरा संख्या 598 की भूमि के मध्य खसरा संख्या 1120/509 की

भूमि है तथा अपीलांट द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 1120/509 की भूमि में होने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में रिकॉर्डेड रास्ते की खसरा संख्या 598 से होकर खसरा संख्या 1120/509 में होकर प्रार्थी के खाते की खसरा संख्या 512 की भूमि तक जाने वाले तथाकथित रास्ते की लम्बाई तथा मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में दर्शाए गए खसरा संख्या 513 में होकर जाने वाले तथाकथित रास्ते की लम्बाई का तुलनात्मक रूप में अवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि लघुतम रास्ते का निर्धारण किया जा सके। परन्तु प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में खसरा संख्या 598 रिकॉर्डेड रास्ते से खसरा सख्या 1120/509 में होकर खसरा संख्या 512 मे जाने वाले तथाकथित रास्ते के सम्बंध में कोई वर्णन नहीं किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 पर अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी अपीलांट प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 को त्रुटिपूर्ण होना मानता है तथा प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में प्रश्नगत रास्ता अपीलांट के खाते की भूमि से कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है अतः अपीलांट प्रश्नगत मोका रिपोर्ट 28.11.2024 से प्रभावित है अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना कूननन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट द्वारा उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 पर आपत्ति प्रकट किए जाने बाबत कोई प्रार्थना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट को उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना ही पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.06.2025 पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट अपीलांट द्वारा कथित खसरा संख्या 1120/509 में होकर जाने वाले तथाकथित वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है तथा उभयपक्षकारान को विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 8/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करवाई जावे तथा मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। मोका रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2026 को स्वयं उपस्थित रहें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/01/26

(गुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा